राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वार्द संख्या— 29/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022/127
दायर दिनांक— 19.10.2022
निर्णय दिनांक— 03.01.2024

उनवानी

1. कमल पुत्र भीवा
   1.1. राजकुमार पुत्र कमल
   1.2. सोहनी पत्नि कमल
2. कैलाश पुत्र भीवा
3. दूर्गा पुत्र भीवा
   सर्वजाति बावरी, सर्वनिवासी ग्राम त्योद, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

——प्रार्थी

बनाम

1. केलम पुत्री भंवरलाल नि0 त्योद हाल नि0 बाजवास तह0 परबतसर जिला नागोर
2. गणपत पुत्र भंवरलाल
3. गोपाल पुत्र बिरदा
4. नानूराम पुत्र भंवरलाल
5. राधेश्याम पुत्र भंवरलाल
6. लालू पुत्र बिरदा
   सर्वजाति बावरी, अप्रार्थी संख्या 2 से 6 निवासी ग्राम त्योद, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री शान्तिलाल ढ़ेल अधि0 प्रार्थी
2 विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 अप्राथी सं0 2,4,5

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वत्व अधिकार, कब्जे, काश्त व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम त्योद, पटवार हल्का त्योद, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भदूण के ख0न0 575 रकबा 1.0274 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि अवस्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता स्व0 रामी पत्नि भीवा के नाम अधिकार अभिलेख में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी आराजी ख0न0 575 के [illegible] दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 574 रकबा 2.2409 है0 [illegible] है। प्रार्थीगण रिकार्डेड सरकारी गै0मु0 रास्ता ख0न0 604 के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 से 6 [illegible] खातेदारी भूमि ख0न0 574 के पूर्व दिशा की तरफ से दक्षिण से उत्तर की सींव मेड के सहारे होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 575 में आने जाने हेतु अपने पूर्वजो के समय से ही रास्ते के र[illegible] में उपयोग करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

03/01/24
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम, लघुतम, सरलतम रास्ता होना आवश्यक है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 575 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की कृषि भूमि ख0न0 574 के दक्षिण दिशा में लगता हुआ रिकोर्डेड सरकारी गै0मु0 रास्ता ख0न0 604 को जोड़ता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुंच हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि ख0न0 574 से होता हुआ सरकारी गै0मु0 रास्ता ख0न0 604 को जोड़ता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि 574 की मेड़ सींव में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना–पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 6 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थना–पत्र के कथन गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि ख0न0 600 की भूमि में से रास्ता बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। ग्राम त्योद के ख0न0 600 में से मौके पर रास्ता मौजूद है तथा नजदीकी रास्ता भी वही से है।इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी संख्या 7) की ओर से जवाब पेश कियां गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम त्योद के ख0न0 575 में आवागमन हेतु ख0न0 574 रकबा 2.2409 है0 भूमि की पूर्वी मेड़ के सहारे–सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक चाहा गया है जो सबसे कम लम्बाई का रास्ता इसी स्थान पर होने से 15 फीट का चौड़ाई का रास्ता प्रदत्त किये जाने पर रास्ते के उपयोग में कुल रकबा 0.0276 है0 प्रयुक्त होगा। ग्राम त्योद की भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,67,013/–रू प्रति हैक्टेयर है। रास्ते के रूप में प्रयुक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर से रास्ते में आने वाली भूमि की कीमत 7370/– रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 14740/– रू बनती है। साथ ही रास्ते के रूप में आवेदित ख0न0 574 में नोट नं 3 से दिनांक 25.08.2023 से सभी काश्तकार पर अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़, अजमेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 प्रार्थना–पत्र संख्या 88/2022 की अनुपालना में इसी खसरा नम्बर की भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु समस्त खातेदारों पर नोट लगा हुआ है। प्रार्थना–पत्र में अंकित प्रार्थी संख्या 1 कमल पुत्र भीवा जाति बावरी की मृत्यु होना भी जाहिर किया गया।

वकील उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को कृषि कार्य व कृषि यंत्र अपने खेत तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वर्णित खसरा नम्बर की भूमि से रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करावें। वकील अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 ने पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन करते हुए प्रार्थी को रास्ता दिये जाने हेतु अनुशंषा प्रदान की।

03/01/24

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि ख0न0 574 में से रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकवा 0.0276 है0 बनता है। जिसकी ग्राम त्योद की भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,67,013/–रू प्रति हैक्टेयर की दर से रास्ते में आने वाली भूमि की कीमत 7370/– रू वनती है, जिसकी दुगुनी राशि 14740/– रू बनती है। खसरा नम्बर 574 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकवा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
1	574	केलम पुत्री भंवरलाल	0.0046	2457
2	574	गणपत पुत्र भंवरलाल	0.0046	2457
3	574	गोपाल पुत्र बिरदा	0.0046	2457
4	574	नानूराम पुत्र भंवरलाल	0.0046	2457
5	574	राधेश्याम पुत्र भंवरलाल	0.0046	2457
6	574	लालू पुत्र बिरदा	0.0046	2457

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

03/01/24

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested